केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503 फैक्स : 23753923

याचिका संख्या. 335 / टीएल / 2019 दिनांक : 30.12.2019

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए "400 केवी उडुपी (यूपीसीएल)-कासरगोड डी/सी लाइन" के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा आवेदन किया गया है:

क्र. स.	पारेषण घटक का नाम	पूरा करने का लक्ष्य
1.	मंगलौर (उडुपी पीसीएल) – कासरगोड 400 केवी (क्वेद) डी/सी लाइन	
2.	कासरगोड में 2X500 एमवीएए 400/220 केवी जीआईएस उपकेन्द्र की स्थापना • 500 एमवीएए 400/220 केवी आईसीटीएस : 2 नं. • बस रिएक्टर्स (63 एमवीएआर) : 2 नं. • लाइन बेज : 4 नं. • आईसीटी बेज : 2 नं. • लाइन बेज (भावी) के लिए स्पेस : 4 नं. • आईसीटी बेज (भावी) के लिए स्पेस : 2 नं. 220 केवी • लाइन बेज : 6 नं. • आईसीटी बेज : 2 नं. • लाइन बेज (भावी) के लिए स्पेस : 6 नं. • आईसीटी बेज (भावी) के लिए स्पेस : 2 नं.	प्रभावी तारीख से 38 माह
3.	यूपीसीएल स्विचयार्ड में बस बार एक्सटेंशन का कार्य और 400 केवी लाइन बेज का 2 नं.	

2. आवेदक का अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 847.44 मिलियन प्रति वर्ष के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में चयन किया गया है।

3. केन्द्रीय पारेषण कंपनी ने प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सिफारिश की है।

4. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आयोग ने याचिका संख्या 335 / टीएल / 2019 में दिनांक 27.12.2019 के आदेश के माध्यम से उक्त पैरा 1 में नोट किए गए पारेषण प्रणाली स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी करने का प्रस्ताव किया है।

5. उडुपी कासरगोड ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट **www.sterlitepower.com** में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर 13.1.2020 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आवेदन को यथासमय पर आयोग द्वारा आगे की सुनवाई के लिए लिया जाएगा। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ताक्षर
(गीतू जोशी)
प्रमुख (अर्थशास्त्र)